

बिन्दु सं०-7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

निगम की नीति को बनाये जाने तथा उन्हें लागू किये जाने के संबंध में जनसामान्य का प्रतिनिधित्व रखे जाने अथवा उनसे विचार-विमर्श किये जाने संबंधी कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है तथापि निगम की नीतियों को बनाये जाने तथा उन्हें लागू किये जाने में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को संज्ञान में लिया जाता है । इसके अतिरिक्त इस निगम के एक व्यवसायिक संस्था होने के कारण निगमहित को दृष्टिगत रखते हुए निगम की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं तथा निगम के नीति विषयक महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी निदेशक मण्डल को ही उपलब्ध करायी जाती है । निगम की नीतियों को बनाये जाने तथा उन्हें लागू किये जाने के संबंध में जनता से परामर्श करने अथवा उनका प्रतिनिधित्व किये जाने के संबंध में निगम को शासकीय नियम अथवा निर्देश प्राप्त नहीं है। **(निगम से सम्बन्धित नहीं है।)**